

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :-गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 40/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, जिला उदयपुर(राज.)
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
..... अपीलान्तगण

बनाम

1. मृतक कालूलाल पुत्र श्री पुरुषोत्तमलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर के बजाय:-
1/1. श्रीमती रतनबाई पत्नी स्व. कालूलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी सलुम्बर
1/2. प्रेमनारायण पिता स्वर्गीय कालूलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी सलुम्बर
1/3. शंकरलाल पिता स्वर्गीय कालूलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी सलुम्बर
1/4. भद्रेश पिता स्वर्गीय कालूलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, जिला
उदयपुर(राज.)
..... रेस्पोंडेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 41/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, जिला उदयपुर(राज.)
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
..... अपीलान्तगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी श्री भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर
2. श्रीमती प्रीति पुत्री स्व० भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर
3. पिना पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर
4. वन्दना पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर
5. दीपिका पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर
6. अन्जना पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल ब्राहमण, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर,
जिला उदयपुर (राज.)
..... रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि०1955

विरुद्धनिर्णयएवं डिक्रीउपखण्ड अधिकारी सलुम्बरदिनांक

24-04-2023प्रकरण संख्या क्रमशः 30/2013 व 43/2013

----::----

उपस्थित :- 1-श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषकअपीलान्त

2-श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोंडेन्टगण

----::----



निर्णयदिनांक04-07-2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपील संख्या 40/2023 के रेस्पोंडेन्टगण के पूर्वाधिकारी श्री कालूलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसके अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 30/2013 पड़े। इसी प्रकार कालूलाल के भाई भैरूलाल ने वाद संख 43/2013 प्रस्तुत किया, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 41/2023 प्रस्तुत हुई है। भैरूलाल के वारिसान रेस्पोंडेन्टगण हैं। चूंकि दोनों ही प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन समान है तथा न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में एक ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय भी दोनों अपीलों में एक ही निर्णय करना उचित समझता है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न की जावे।

दोनों ही अपीलों के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय नाथूलाल ब्राहमण की मौजा सलुम्बर में साबिक आराजी नंबर 1095 से 1105 कुल किता 10 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नंबर 712 से 718, 720 से 730 व 1605/712 कुल किता 19 रकबा 2.07 हैक्टर बने। मेवाड़ राज्य की प्रथम पैमाईश सलुम्बर ठिकाने की संवत् 1996 व 1997 में हुई, तब उक्त भूमि श्री केसरिया महाराज धुलेव के माफी की थी यानि लगान प्राप्त करने वालों के रूप में नाम दर्ज था यानि मूर्ति माफी के रूप में दर्शा रखी थी एवं खातेदार शिकमी माफीदार का नाम नाथूलाल ब्राहमण निवासी सलुम्बर एवं खुदकाश्त मेवाड़ राज्य के पर्चा खतौनी में अंकित था एवं मेवाड़ राज्य की संवत् 1997 की जमाबन्दी में माफी केसरिया जी महाराज लिखा एवं उसी कॉलम में नाथूलाल ब्रा. को शिकमी माफीदार अंकित कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज स्व. नाथूलाल ब्राहमण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के पुजारी नहीं थे, बल्कि शिकमी माफीदार होकर मौके पर काबिज काश्त थे। राजस्थान जागीर अधिग्रहण 1992 के बाद नामान्तरकरण संख्या 179 से स्व. नाथूलाल के वारिस पुरुषोत्तमलाल पुत्र नाथूलाल ब्राहमण को गैर खातेदारी अधिकार दिनांक 12-12-1960 को दिये गये एवं नामान्तरकरण संख्या 180 से दिनांक 31-01-1965 को नाथूलाल के निधन पर वारिस पुरुषोत्तम को खातेदार अधिकार प्रदान किये गये। नामान्तरकरण संख्या 262 से पुरुषोत्तम के निधन के बाद उनके पुत्र कालूलाल, भैरूलाल ब्राहमण के नाम वादग्रस्त भूमि विरासत से खाते दर्ज हुई। दोनों भाईयों ने आपसी बंटवारा कर रखा है। नामान्तरकरण संख्या 394 से खाते अलग-अलग होकर कालूलाल के खाते में आराजी नंबर 1095,

1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105/2 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा तथा शेष 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि भैरूलाल के खाते दर्ज हुई तथा कुंआ 1/2 आधा आधा दोनों भाईयों के नाम दर्ज किया गया। सलुम्बर तहसील का दुबारा सर्वे राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया, जिसमें सेटलमेन्ट विभाग ने वादीगण का नाम हटाकर परिपत्र दिनांक 13-12-1991 का हवाला देकर वादीगण को बिना सूचना दिये दिनांक 14-01-1992 को उनका नाम हटा दिया एवं वादग्रस्त भूमि केसरिया जी महाराज धुलेव के नाम दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग को जमाबन्दी में इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण के मकान वादग्रस्त भूमि पर बने होकर अपने पूर्वजों के समय से निवास करते चले आ रहे हैं एवं कुंए का कनेक्शन ले रखा है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात के एक मात्र खातेदार काश्तकर होकर काबिज चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर भगवान केसरिया जी का खाता निरस्त किया जावे तथा भूमि पुनः वादीगण के नाम दर्ज करने की डिक्री प्रदान की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी की थी उसे वादीगण ने अपने खाते करा ली इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित कर दी गयी। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 30/2013 एवं 43/2013 समान प्रकृति के होने से दोनों का एक साथ निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24-04-2023 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टगण की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि शुरू से राजस्व रेकार्ड में श्री केसरिया महाराज धुलेव के नाम पर दर्ज रही है। उक्त जमीन संवत् 1987 की जमाबन्दी में श्री केसरिया महाराज धुलेव के नाम दर्ज थी। मंदिर की भूमि का अन्य को खातेदार

काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेन्ट अथवा उनके पूर्वजों के खातेदारी में कभी भी नहीं रही है, रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज व्यवस्थापक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे, जिनका कार्य मंदिर की सेवा पूजा तक सीमित था। सेवा पूजा से मंदिर की भूमि के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24-04-2023 निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित भूमि उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है, किन्तु सेटलमेन्ट में बिना उनके पूर्वजों को सुने उनका नाम हटा दिया, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षकी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात का विवाद मुख्यतया देवस्थान विभाग व रेस्पोंडेन्ट गण के मध्य है। तहसीलदार का इसमें क्या हित निहित है व तहसीलदार द्वारा अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गयी है, यह स्पष्ट नहीं है।

दौराने बहस रेस्पोंडेन्ट की ओर से एक पत्र पेश किया गया। पत्र में देवस्थान विभाग के अधिवक्ता द्वारा विभाग को उक्त प्रकरणों में अवगत कराया गया कि उनकी राय में अपील करना उचित नहीं है और न ही अपीलीय न्यायालय में निर्णय परिवर्तन की संभावना है। इसके बावजूद विभाग द्वारा अपील अथवा नो अपील का निर्णय लिया गया अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु अपीलान्त क्रमांक 2 की तरफ से अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील पर हस्ताक्षर शिवराज सिंह राठौड़ निरीक्षक सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा किये गये हैं, जबकि पक्षकार क्रमांक 2 सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव संयोजित है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 30/2013 व 43/2013 के अवलोकन से रिकार्ड के निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं –

- मेवाड़ सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट उदयपुर पर्चा खतौनी संवत् 1996 (सन् 1939) में काश्तकार नाथूलाल ब्राहमण खुदकाश्त दर्ज है एवं मूर्ति भगवान केसरिया

जी महाराज को हांसल प्राप्त कर्ता दर्शा रखा है। (प्रदर्श 13 पत्रावली संख्या 30/2013)

- मेवाड़ राज्य की संवत् 1997 की जमाबन्दी (प्रदर्श 11 पत्रावली संख्या 43/2013) में नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कैफियत सकूनत श्री केसरिया जी महाराज स्थान धुलेव के साथ नाथूलाल ब्राहमण शि.मा. खुदकाशत दर्ज है।
- खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2012 चौसाला (प्रदर्श 12 पत्रावली संख्या 43/2013) में पुरुषोत्तमलाल का नाम अंकित है।
- राजस्थान सरकार बनने के बाद जमाबन्दी प्रथम चौसाला संवत् 2016 से 2019 में नाथूलाल फोत होने से पुरुषोत्तमलाल ब्राहमण शि.मा. दर्ज है।
- नामान्तरकरण संख्या 180 (प्रदर्श 14 पत्रावली संख्या 30/2013) सन् 1961 में धारा 19 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के अनुसार खातेदार दर्ज किया गया।
- संवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी (प्रदर्श 3 पत्रावली संख्या 43/2013) खातेदार पुरुषोत्तमलाल की मृत्यु होने से नामान्तरकरण संख्या 262 से वादग्रस्त आराजी इनके वारिसान भैरूलाल व कालूलाल के नाम दर्ज हुई।
- जमाबन्दी संवत् 2031 A से 2034 A (पत्रावली संख्या 30/2013) क्रमांक 249 में भैरूलाल व कालूलाल द्वारा म्यूटेशन क्रमांक 394 बंटवाड़ा से अलग-अलग खातेदार दर्ज हुए।
- जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व भू विकास बैंक से ऋण भी लिया है।
- राज्य सरकार के आदेश परिपत्र क्रमांक 2(4)90/37 दिनांक 13-12-1991 की पालना में दिनांक 14-10-1992 को नामान्तरकरण संख्या 15 व 16 से वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी क्रमांक 2/अपीलान्ट क्रमांक 2 के नाम दर्ज कर दी गई। (प्रदर्श 8 पत्रावली संख्या 43/2013) तथा भैरूलाल व कालूलाल को व्यवस्थापक दर्ज कर लिया गया।
- उक्त विवाद को हल करने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा पुनः एक परिपत्र क्रमांक 3(2)राज.-6/2007/14 जयपुर दिनांक 24-05-2007 को जारी किया गया। (प्रदर्श 15 पत्रावली संख्या 43/2013)

उक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोंडेन्ट व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रेकार्ड में संवत् 1996 से लगायत संवत् 2038 तक खुदकाशत

शिकमी माफीदार अथवा खातेदार इत्यादि के रूप में अंकित रहे हैं। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 19 के तहत म्यूटेशन क्रमांक 180 से वादीगण के पूर्वज श्री पुरुषोत्तमलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित किया गया। जबकि राज्य सरकार के आदेश से वादग्रस्त आराजियात पूर्वोक्त कथनानुसार अपीलान्ट क्रमांक 2 के नाम दर्ज कर दी गई इसलिए वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की विधिवत् सुनवाई कर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये। दोनों प्रकरणों में अलग-अलग तनकियात कायम की गई। वादीगण द्वारा वाद पत्र की पुष्टि में प्रदर्श 1 से लगायत 20 तक पेश किये गये, जो वाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इन दस्तावेजों की रोशनी में लिखा गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय समस्त तनकियात का विनिश्चय गवाहान के बयानात्, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, बहस पर मनन इत्यादि के आधार पर किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में पाया गया कि वादग्रस्त आराजियात कभी भी मंदिर मूर्ति के खुदकाश्त नहीं रही। राजस्थान लैण्ड रिफोर्म एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रभाव में आने पर जो काश्तकार राजस्व रिकार्ड में माफी की जमीन पर, चाहे वह किसी मंदिर मूर्ति की माफी की भूमि ही क्यों न हो, उसका नाम काश्तकार अथवा उपकृषक अथवा खडमदार अथवा अन्य किसी रूप में अंकित हो, उन तमाम लोगों को उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 10 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं में खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान है। इन्हीं धाराओं में स्वर्गीय नाथूलाल ब्राहमण के वारिसानोंको पहले गैरखातेदारी व बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। अतः सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादी केसरिया जी महाराज धुलेव के नाम वादग्रस्त भूमि में दिनांक 14-10-1992 को दर्ज करना अवैध है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में आदेश पारित कर डिक्री पर्चा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13-12-1991 के आदेश के क्रम में दिनांक 24-05-2007 को एक परिपत्र उक्त प्रकार के वादों के निस्तारण के क्रम में जारी किया गया। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट किया गया कि "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा

राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि0 13-12-91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।" (प्रदर्श 15 पत्रावली संख्या 43/2013) इसी की निरन्तरता में दिनांक 06-01-2010 को भी पत्र जारी किया गया था। यह परिपत्र इस प्रकरण में भी लागू होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24-05-2007 के परिपत्र की भावना के अनुरूप प्रकरण में आदेश पारित किया गया है।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा बताया गया कि देवस्थान विभाग के अधिवक्ता द्वारा जरिये पत्र इस अपील के संबंध में बताया कि "उक्त निर्णय का मनन करने पर तथा उक्त पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज के आधार पर मेरी राय में निर्णय दिनांक 24-04-2023 अपील योग्य नहीं है, दस्तावेज के आधार पर अपीलीय न्यायालय में निर्णय में मेरी राय से कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कि उसके बावजूद भी अगर विभाग आवश्यक समझे तो अपील प्रस्तुत करे परन्तु मेरी राय अपील की नहीं है और न ही अपील में निर्णय परिवर्तन होने की संभावना प्रतीत होती है।" इससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री का विधि सम्मत होने को बल मिलता है।

इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नजीरों के अध्ययन से भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बल मिलता है।

अपीलान्ट द्वारा अपील में यह कथन किया गया कि रेस्पोंडेन्ट कभी भी खातेदार नहीं रहे और इनका नाम राजस्व रिकार्ड में व्यवस्थापक अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की अनदेखी की गई। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत समस्त राजस्व दस्तावेजों को विधिवत् रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में लिया जाना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात का विधिवत् विनिश्चय किया गया है और गहन परीक्षण एवं विश्लेषण के पश्चात् निर्णय पारित करना पाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24-05-2007 द्वारा वादीगण का दावा पुष्ट होता है। समय-समय पर राजस्व कार्मिकों द्वारा वादीगणों का नामान्तरकरण प्रक्रिया भी

संपादित की गई है और धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर खातेदार व खातेदारी की प्रविष्टि भी जरिये म्यूटेशन की गई है। अपीलान्ट दौराने अपील यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोंडेन्ट/वादीगण का कोई अधिकार साबित नहीं होता और वादग्रस्त आराजियात पर केसरिया जी महाराज धुलेव का पूर्ण अधिकार है। अपीलान्ट यह साबित करने में असफल रहे कि 1992 से पूर्व रेस्पोंडेन्टगण व उनके पूर्वज पुजारी के रूप में सेवा-पूजा करते थे व वादग्रस्त आराजी में पुजारी के रूप में दर्ज थे। रेस्पोंडेन्टगण का खातेदार दर्ज होना, ऋण लेना इत्यादि भी भूमि पर उनका काबिज होना दर्शाता है, जिसका खण्डन करने में अपीलान्ट असफल रहे। साथ ही सेटलमेन्ट विभाग बिना सक्षम आदेश के किसी खातेदार के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकारी नहीं है। अतः रेस्पोंडेन्टगण को अधिनस्थ न्यायालय से खातेदारी घोषणा के साथ इन्द्राज दुरस्ती का पूर्ण अधिकार था। अतः रेस्पोंडेन्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उचित था। न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं क्षेत्राधिकार के अंदर उचित निर्णय किया है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपील मेमों के बिन्दुओं को साबित करने में असफल रहे। फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 व 43/2013 में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। तदनुसार अपील खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 व 43/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-04-2023 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 04-07-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासगितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदारबनाममृतक कालूलाल के बजाय श्रीमती रतन
सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य बाई पत्नी स्व. कालूलाल शर्मा, जाति
ब्राहमण, निवासी सलुम्बर व अन्य

अपील नं.....40 / 2023.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....सलुम्बर.....मुकाम.....मुखर्चे.....24.....माह.....04.....2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04.....माह.....07.....सन् 2023 रुबरू.....
व हाजरी.....मिनजानिब अपीलान्ट व

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि.....अपील अपीलान्टखारिज
की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 30/2013 निर्णय व डिक्री
दिनांक 24-04-2023 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपयेX.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04.....माह.....07.....2023
को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रु0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रु0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुकमनामा			3. इजराय हुकमनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासगितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनामश्रीमती कमला पत्नी भैरूलाल ब्राहमण
सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य निवासी सलुम्बर व अन्य

अपील नं.....41/2023.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....सलुम्बर.....मुकाम.....मुखर्षे.....24.....माह.....04.....2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04.....माह.....07.....सन् 2023 रुबरू.....
व हाजरी.....मिनजानिब अपीलान्त व

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....अपील अपीलान्त खारिज
की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 43/2013 निर्णय व डिक्री
दिनांक 24-04-2023 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपयेX.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04.....माह.....07.....2023
को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।